JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960; Website:www.brlp.in

कार्यालय आदेश

जीविका लैंगिक समता उत्प्रेरण कार्यक्रम (Gender Integration Program)

बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में जीविका एक सशक्त एवं प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य कर रही है। जीविका द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह निर्माण कर उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य किया जाता है। अबतक लगभग 1.25 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को जीविका संपोषित स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की क्षमता एवं संभावना को देखते हुए जीविका द्वारा विभिन्न समूहों को जोड़कर ग्राम/पंचायत स्तर पर ग्राम संगठन एवं संकुल स्तर पर संकुल स्तरीय संघो का गठन किया है जिनके द्वारा विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। जीविका के महिला सशक्तीकरण हेतु किए जा रहे प्रयासों से समूह से जुड़ी महिलाएं सशक्त बन रही है और अपने परिवार के विकास के लिए कार्य कर रही है। समूह से जुड़ाव के बाद समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने में मदद मिल रही है।समाज की मुख्यधारा में महिलाओं को लाने के लिये जीविका द्वारा लैंगिक विषयों पर संवेदीकरण एवं अन्य कार्य इस दिशा में किया जा रहा है, जिसे और गहन रूप से क्रियान्वित किए जाने की विशेष कार्य योजना तैयार की गयी है। जिसे जीविका लैंगिक समानता उत्प्रेरण कार्यक्रम के रूप में क्रियांव्यित की जायेगी I इस कार्यक्रम के तहत निम्न कार्य किये जायेंगे I

1. जीविका संपोषित संकुल संघों में साझा शक्ति केंद्र (जेंडर डेस्क) की स्थापना

जीविका संपोषित संकुल संघ कार्यालयों में जीविका द्वारा **साझा शक्ति केंद्र (जेंडर डेस्क)** की स्थापना की जानी है। साझा शक्ति केंद्र ग्रामीण महिलाओं के लिए उनकी समस्या को हल करने तथा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से अपने अधिकारों तक पहुंच दिलवाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा।

जीविका द्वारा **जीविका लैंगिक समता उत्प्रेरण कार्यक्रम (Gender Integration Program)** का पायलट बिहार के मुजफ्फरपुर, नालंदा और पटना जिलों के 4 प्रखंडों के 11 संकुल संघों में सेंटर फॉर कैटालाइजिंग चेंज (C3) के सहयोग से की जाएगी एवं इन संकुल संघों में साझा शक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी। संकुल संघ स्तर पर स्थापित साझा शक्ति केंद्र विभिन्न महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के बीच एक मंच के रूप में कार्य करेगा एवं उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देते हुये उसे पूर्ण करने में मदद करेगा। साझा शक्ति केंद्र यह भी सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण महिलाओं को ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) जैसे स्थानीय मंचों पर प्रतिनिधित्व का मौका दिलवाया जाए ताकि उन्हे सामाजिक रूप से सशक्त किया जाए एवं उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए। यह केंद्र समुदायों में सभी महिलाओं की जरूरतों के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को हासिल करने एवं विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के लिए एक मंच के रूप में भी काम करेगा एवं आवश्यकतानुसार उन्हें कानूनी सलाह प्रदान करने में सहयोग करेगा।

साझा शक्ति केंद्र (जेंडर डेस्क) स्तर पर किए जाने वाले कार्य

1. **सेवाएं :** परामर्श, कानूनी सहायता, रेफरल

2. **शैक्षिक गतिविधियाँ :** जागरूकता सत्र का आयोजन, क्षमता निर्माण कार्यक्रम

3. **अनुसंधान गतिविधियाँ :** जेंडर कार्य योजना तैयार करना एवं गाँव टोला स्तर पर क्रियान्वयित करना

2. साझा शक्ति केंद्र समन्वयक (Gender Desk Coordinator)

साझा शक्ति केंद्र के संचालन एवं देखरेख हेतु संकुल संघ द्वारा कार्यरत एक संकुल सहायक (Cluster Facilitator) को साझा शक्ति केंद्र सहायक के रूप में नामित किया जाएगा । साझा शक्ति केंद्र सहायक के रूप में कार्यरत महिला संकुल सहायक को प्राथमिकता दी जाएगी । संकुल संघ द्वारा नामित संकुल सहायक को जिला द्वारा प्रशिक्षित कर संकुल संघ स्तर पर **साझा शक्ति केंद्र समन्वयक (जेंडर डेस्क समन्वयक)** के रूप पदस्थापित किया जाएगा । साझा शक्ति केंद्र समन्वयक (जेंडर डेस्क समन्वयक) द्वारा संकुल संघ एवं जिला जेंडर समिति को रिपोर्ट किया जाएगा ।

साझा शक्ति केंद्र समन्वयक (जेंडर डेस्क समन्वयक) के कार्य एवं जिम्मेदारियां: साझा शक्ति केंद्र सहायक निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेवार होंगे ।

1. साझा शक्ति केंद्र सहायक जेंडर डेस्क की दैनिक गतिविधियों का बेहतर ढंग से प्रबंधन करना ।
2. संकुल स्तरीय संघ अपने सभी CM जेंडर पॉइंट पर्सन नामित करवा कर प्रशिक्षण आयोजित करवाना I
3. ग्राम संगठनों के सामाजिक कार्य समिति (SACs) के सदस्यों को सक्रिय करना एवं आवश्यकता अनुसार ग्राम संगठन के सहयोग से उपसमिति सदस्यों में बदलाव करना ।
4. ग्राम पंचायत स्तर पर जेंडर फोरम का गठन करवाना (इस फोरम में ग्राम संगठन के सामाजिक कार्य उपसमिति के एक सदस्य को शामिल किया जाएगा) ।
5. ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समिति (बाल अधिकारों के मुद्दों के लिए) के साथ बेहतर समन्वयक स्थापित करना ताकि बच्चे भी जरूरत पड़ने पर जेंडर डेस्क एवं बाल संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकें ।
6. हिंसा से पीड़ित महिलाओं को स्थानीय पुलिस स्टेशनों के सहयोग से तत्काल सहायता प्रदान करना, हिंसा से पीड़ित महिलाओं को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होने पर स्थानीय पीएचसी/सीएचसी के साथ समन्वयन स्थापित करना ।
7. प्रखंड स्तर पर प्रखंड कार्यालयों से समन्वय एवं सहयोग I

2. संकुल संघ सामाजिक कार्य उप-समिति

जीविका संपोषित सभी संकुल संघों में कार्यों के सुगमता पूर्वक संचालन हेतु प्रतिनिधि निकाय सदस्यों (RGB) में से 3-5 सदस्यों को नामित कराते हुये विभिन्न उप समितियों का गठन किया गया है । इन समितियों में से सामाजिक कार्य उप समिति का कार्य काफी महत्वपूर्ण है । संकुल संघ के सामाजिक कार्य उप समिति द्वारा पंचायतों एवं कार्य क्षेत्रों में

क्षेत्र भ्रमण कर ग्राम संगठन के सहयोग से समूह से जुड़ी महिलाओं के सामाजिक विकास में अपेक्षित सहयोग प्रदान करती है।

संकुल संघ सामाजिक कार्य उप-समिति के कार्य

1. ग्राम स्तर के जेंडर प्वाइंट पर्सन और ग्राम संगठनों के सदस्यों की मासिक रूप एवं आवश्यकता अनुसार बैठक आयोजित करना
2. ग्राम संगठन में जेंडर कार्य योजना तैयार करना
3. बाल विकास परियोजना अधिकारी, आई.सी.डी.एस. पर्यवेक्षक, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग आदि जैसे संस्थानों का सहयोग लेकर महिलाओं के विकास हेतु कार्य करना।
4. जेंडर प्वाइंट पर्सन और ग्राम संगठन के सामाजिक कार्य उपसमिति के सहयोग से प्राप्त मामलों का समाधान करना।
5. ग्राम संगठन के स्तर पर यदि कोई मामला हल नहीं होता है, उन्हें संकुल संघ में कार्यरत जेंडर डेस्क के पास सहयोग हेतु हस्तांतरित किया जाना ।
6. यदि आवश्यक हो तो मामले की गंभीरता अनुसार मामले को प्रखंड या जिला स्तर पर संबंधित सेवा प्रदाताओं को भेजना।
7. संकुल संघ,ग्राम सगठन बैठकों में हुई चर्चाओं, प्राप्त मुद्दों और मुद्दों के समाधान हेतु की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड रखना।
8. साझा शक्ति केंद्र एवं ग्राम संगठन के सामाजिक समिति के द्वारा केस रजिस्टर का संधारण।
9. मासिक आधार पर सभी मामलों की समीक्षा करना। इस समीक्षा में उप-समिति के अलावा 2 और सदस्यों को शामिल किया जा सकता है।
10. मासिक आधार पर जेंडर डेस्क के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करना।
11. समूह की सदस्यों को ग्राम सभा की बैठकों में VPRP मुद्दों भाग लेने के लिए प्रेरित करना और वहां उनकी भागीदारी बढ़ाना।

4. <u>ग्राम संगठन सामाजिक कार्य उप-समिति</u>

जीविका द्वारा सभी ग्राम संगठनों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यों के सुगमता पूर्वक संचालन हेतु प्रतिनिधि निकाय सदस्यों (RGB) में से 3-5 सदस्यों को लेकर सामाजिक कार्य उप समिति का गठन किया गया है। ग्राम संगठन के सामाजिक कार्य उप समिति द्वारा पंचायतों एवं कार्य क्षेत्रों में क्षेत्र भ्रमण कर ग्राम संगठन के सहयोग से समूह से जुड़ी महिलाओं के सामाजिक विकास में अपेक्षित सहयोग प्रदान करती है।

ग्राम संगठन सामाजिक कार्य उप-समिति के कार्य

1. ग्राम संगठन सामाजिक कार्य समिति सदस्यों द्वारा समूह की साप्ताहिक बैठकों में भाग लेकर इन बैठकों में जेंडर चर्चा का एजेंडा पर चर्चा किया जाएगा एवं चर्चा को कार्यवाही रजिस्टर में संधारित किया जाएगा।

2. समूह बैठकों में भाग लेकर सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की कमी, बाल विवाह, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों पर चर्चा, महिलाओं और बच्चों के प्रति हिंसा, पोषण और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा एवं समाधान किया जाएगा ।
3. सामाजिक कार्य समिति सदस्यों द्वारा VPRP में चिन्हित या अन्य विभिन्न सामाजिक मुद्दों को समूह सदस्यों के सहयोग से अपने स्तर पर हल करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ।
4. सामाजिक कार्य समिति सदस्यों द्वारा अपने स्तर पर समाधान ना होने की स्थिति में संकुल संघ जेंडर डेस्क को मामलों को रेफर कर दिया जाएगा ।
5. सामाजिक कार्य उप-समिति, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और ग्राम पंचायत के सदस्यों VPRP में चिन्हित योजनाओं एवं अधिकारों और अधिकारों तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगी । जैसे- MGNREGS, PDS, PMAY और अन्य राज्य और केंद्र प्रायोजित योजनाएं ।
6. सामाजिक कार्य समिति सदस्य स्वयं सहायत समूहों के सदस्यों को ग्राम सभाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उन्हे प्रशिक्षित करेंगे की वे ग्राम सभा में अपने मुद्दों को उठाएंगे ताकि महिलाओं को उनकी पहचान एवं समाज में उचित भागीदारी मिल सके ।
7. सामाजिक कार्य समिति सदस्य स्वयं सहायत समूहों के सदस्यों को उनकी जरूरतों और ग्राम सभाओं में उठाई जाने वाली मुद्दों को पहचान करने में मदद करेंगे । पहचान किए गए महत्वपूर्ण जरूरतों एवं मुद्दों को ग्राम सभा में उठाया जाएगा ।
8. सामाजिक कार्य समिति सदस्यों द्वारा समूह के सदस्यों के जरूरतों एवं मांग को ग्राम संगठन और संकुल संघ स्तर पर चर्चा करने के लिए समेकित किया जाएगा ।
9. सामाजिक कार्य समिति सदस्यों द्वारा इन मुद्दों पर ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर जवाबदेही की भी मांग की जाएगी ।
10. ग्राम संगठन की बैठक में भाग लेकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना ।
11. ग्राम संगठन बैठकों में चर्चा,मुद्दों और ग्राम संगठन स्तर पर की गई कार्रवाई के रिकॉर्ड को लेखांकन पुस्तिकाओं में लेखांकित करवाना ।
12. सामाजिक कार्य समिति के सदस्य जेंडर फोरम के सदस्य होंगे ।
13. जेंडर फोरम के सहयोग से जेंडर एक्शन प्लान विकसित करना ।
14. जेंडर कार्य योजना के अनुसार की गई कार्रवाई की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करना और संकुल संघ को प्रस्तुत करना ।
15. जेंडर पॉइंट पर्सन के काम की समीक्षा और कार्यों की निगरानी करना ।
16. रिपोर्ट किए गए मामलों की प्रगति की निगरानी ।
17. जेंडर एक्शन प्लान के आधार पर सामाजिक एजेंडा तैयार करना एवं ग्राम संगठन की बैठक में जेंडर Pledge की सुविधा प्रदान करना ।

18. समूह सदस्यों को सरकारी योजनाओं से जुड़ाव हेतु ग्राम स्तर की संस्थाओं और पंचायतों के साथ मिलकर कार्य करना ।

19. बच्चों को शिक्षा देने एवं नियमित रूप से स्कूल भेजने एवं उपस्थिती, बाल विवाह को रोकने, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों पर हस्तक्षेप करना ।

20. यदि कोई महिला (समूह की सदस्य या अन्य) किसी भी प्रकार की हिंसा, या अधिकारों के उल्लंघन या किसी अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित मामले की रिपोर्ट करती है तो ग्राम संगठन स्तर पर मामला दर्ज कराते हुये समस्या के समाधान के लिए महिला का सहयोग करना ।

21. VPRP पर पूर्ण समीक्षा ।

5 . ग्राम संगठन स्तर पर जेंडर प्वाइंट पर्सन (जीपीपी) / सक्षमा दीदी की भूमिका

ग्राम संगठन में कार्यरत जीविका मित्र (Community Mobiliser) को ग्राम संगठन स्तर पर सक्षमा दीदी के रूप में नामित एवं कार्यरत किया जाएगा । सक्षमा दीदी समुदाय के वंचित और हाशिए पर रह रहे महिलाओं को सहयोग करेंगी जैसे- महिलाएं, विधवा महिलाएं, दलित और आदिवासी समुदायों की महिलाएं ।

सक्षमा दीदी की जिम्मेदारियां :

1. अपने कार्य क्षेत्र में जेंडर समानता के मुद्दों पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की बैठकें/चर्चा/प्रशिक्षण आयोजित करना
2. संकुल संघ / ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित जेंडर प्रशिक्षणों में सक्रिय रूप से भाग लेना
3. स्वयं सहायत समूह स्तर पर बैठकों और चर्चाओं का दस्तावेजीकरण करना
4. स्वयं सहायत समूह के सदस्यों को उनके अधिकारों तक पहुंचने के लिए उपयुक्त सरकारी कार्यालयों या अधिकारियों से संपर्क करने में सहायता करना
5. जेंडर डेस्क के सहयोग से गांव से जेंडर असमानता और भेदभाव के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में संकुल संघ जेंडर डेस्क को सहयोग करना
6. स्वयं सहायत समूह के सदस्यों को उनकी विशिष्ट जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए जेंडर एक्शन प्लान तैयार करने में सहायता करना ।
7. ग्राम गरीबी निवारण योजनाओं में चिन्हित समस्याओं पर VO के सहयोग से कार्य करना एवं निर्धारित एप पर संधारित करवाना ।
8. ग्राम संगठन स्तर पर तैयार किए गए जेंडर कार्य योजनाओं को पंचायत समिति (ग्राम पंचायत) के समक्ष प्रस्तुत करना और सामूहिक सहयोग से पूर्ण करवाने का प्रयास करना ।

6. स्वयं सहायता समूह स्तर पर संपादित की जाने वाली गतिविधियाँ

1. समूह की नियमित साप्ताहिक बैठक में अनिवार्य रूप से जेंडर मुद्दों पर चर्चा करना - जैसे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा, बाल विवाह आदि के मुद्दों पर चर्चा करना और इन मुद्दों को हल करने के लिए कार्य करना।
2. ग्राम संगठन सदस्यों के सहयोग से वार्षिक जेंडर कार्य योजना विकसित करना।
3. समूह द्वारा अपनी स्वयं की जेंडर कार्य योजना विकसित की जाएगी।
4. समूह सदस्य अपने उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
5. ग्राम सभा में शामिल करने के लिए एजेंडा तैयार करना एवं तैयार एजेंडे को ग्राम संगठन के साथ साझा करना।
6. समूह महिलाओं को ग्राम सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जो आमतौर पर पुरुष प्रधान स्थान रहते हैं।
7. जिन मुद्दों पर पंचायत से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, उन्हें मुखिया या उनके क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि के साथ साझा किया जाएगा।
8. समूह सदस्य द्वारा सामूहिक रूप से पंचायत से अपने अधिकारों की मांग करना और पंचायत को सहयोग करना।
9. समूह सदस्यों को राज्य में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में ग्राम संगठन द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि उन योजनाओं का उपयोग कैसे किया जाए।जैसे- मनरेगा, पीडीएस, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जल जीवन हरियाली एवं अन्य राज्य एवं केंद्र प्रायोजित योजनाएँ।
10. महिलाओं और स्वास्थ्य, महिलाओं और काम, महिलाओं और गतिशीलता, और महिलाओं और मनोरंजन जैसे मुद्दों पर समूह स्तर पर जेंडर सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल पर चर्चा की जाएगी।

7. पंचायत स्तर पर जेंडर फोरम

जेंडर फोरम ग्राम पंचायत स्तर पर एक अनौपचारिक निकाय के रूप में कार्य करेगा जो महिलाओं के अधिकारों और अधिकारों से संबंधित विभिन्न विभागों और पदाधिकारियों के अभिसरण में सहयोग प्रदान करेगा। फोरम में जेंडर जीविका प्रखंड इकाई द्वारा नामित एक कर्मी, डेस्क कोऑर्डिनेटर (साझा शक्ति केंद्र सहायक),ग्राम संगठन सामाजिक कार्य समिति सदस्य, जेंडर प्वाइंट पर्सन (सक्षम दीदी), 2 निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, 2 ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, महिला थाने के 2 पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। /स्थानीय पुलिस स्टेशन, 1 स्थानीय स्कूल शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के सदस्य नामित होंगे। पंचायत स्तर के फोरम की बैठक के लिए जीविका प्रखंड इकाई के द्वारा नामित कर्मी संयोजक की भूमिका निभाएंगे।

पंचायत स्तर पर जेंडर फोरम की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां:

- जेंडर फोरम की त्रैमासिक बैठक और ग्राम संगठन सामाजिक कार्य उप-समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों का

समाधान।

- जेंडर फोरम में प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राम संगठन सामाजिक कार्य उप-समिति की उपस्थिती।
- बैठक कार्यवाही और संकल्पों के लेखनाकन के लिए रजिस्टर तैयार करना
- VPRP – GPDP अभिसरण पर समीक्षा

8. **प्रखंड स्तर पर जेंडर फोरम**

प्रखंड स्तर पर भी एक जेंडर फोरम का गठन किया जाएगा, जो महिलाओं के अधिकारों और अधिकारों से संबंधित सेवाओं के अभिसरण के लिए एक मंच का काम करेगा। इसमें संबन्धित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), स्वास्थ्य, शिक्षा, आई.सी.डी.एस., राजस्व, पुलिस, संकुल संघ सामाजिक कार्य उपसमिति, स्थानीय पुलिस स्टेशन आदि के सदस्यों को आवश्यकता अनुसार भाग लेने के लिए आग्रह किया जाएगा। प्रखंड स्तर के फोरम की बैठक के लिए संबन्धित प्रखंड में कार्यरत प्रखंड परियोजना प्रबन्धक संयोजक की भूमिका निभाएंगे।

प्रखंड स्तर पर जेंडर फोरम की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां :

- पंचायत स्तर पर जेंडर फोरम से मुद्दों को लेकर प्रखंड स्तर पर चर्चा एवं मुद्दों के समाधान हेतु कार्य करना।
- ग्राम संगठन सामाजिक कार्य उप-समिति स्तर पर उठाए गए मुद्दों पर चर्चा एवं समाधान।
- अधिकारों से संबंधित मुद्दे, बच्चों को शिक्षा में बनाए रखना, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति हिंसा, कम उम्र में विवाह की रोकथाम से लेकर संपत्ति तक पहुंच इत्यादि मुद्दों पर चर्चा।

9. **जिला स्तरीय जेंडर समिति**

जिला स्तर पर कार्यरत संकुल संघ सुदृढीकरण समिति (CLF Strengthening committee) ही जिला स्तरीय जेंडर समिति के रूप में कार्य करेगी। इस समिति द्वार संकुल संघ,ग्राम संगठन, पंचायत,प्रखंड स्तर पर किए जा रहे जेंडर एकीकरण कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी एवं आवश्यकता अनुसार संबन्धित सामुदायिक संगठनों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिला जेंडर समिति, संकुल संघ स्तर पर जेंडर डेस्क द्वारा आयोजित किए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रमों के लिए समन्वयक का कार्य करेगी।

10. **जिला स्तर पर जेंडर डेस्क**

जिला स्तर पर जेंडर डेस्क की स्थापना की जाएगी,जिसका संचालन जिला स्तरीय जेंडर समिति द्वारा किया जाएगा। संकुल स्तरीय जेंडर डेस्क की निगरानी जिला जेंडर डेस्क द्वारा की जाएगी। सप्ताह में एक बार जिला जेंडर डेस्क के सदस्यों द्वारा संकुल संघ जेंडर डेस्क का दौरा किया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान किया जाएगा। इन साप्ताहिक दौरों से कुछ ऐसे मामलों के समाधान में मदद मिलेगी जिन्हें संकुल संघ जेंडर डेस्क स्वयं हल करने में असमर्थ है। जेंडर एकीकरण कार्यक्रम एवं जिला जेंडर डेस्क के बेहतर प्रबंधन एवं क्रियान्वयक हेतु जिला इकाई द्वारा जिले में कार्यरत प्रबंधक-सामाजिक विकास को जिला जेंडर विशेषज्ञ के रूप में नामित एवं प्रशिक्षित किया जाएगा ।

जेंडर डेस्क का निम्नलिखित संस्थानों के साथ जुड़ाव हेतु कार्य किया जाएगा :

1. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA): महिलाओं और बच्चों के मुद्दों के कानूनी निवारण के लिए
2. जिला और ब्लॉक स्तर के पुलिस स्टेशन
3. महिला थाना
4. महिला एवं बाल विभाग
5. राज्य प्रशिक्षण संस्थान या SIRD
6. चाइल्ड लाइन
7. हिंसा से बचे लोगों के लिए प्रखंड एवं जिला स्तरीय लघु आवास गृह
8. घरेलू हिंसा अधिनियम २००५ के सुरक्षा अधिकारी
9. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र / सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र
10. जिला अस्पताल
11. वन-स्टॉप क्राइसिस सेंटर
12. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड

मुजफ्फरपुर, नालंदा और पटना जिलों के जिला परियोजना प्रबन्धक-जीविका को निदेशित किया जाता है कि वे **जीविका लैंगिक समता उत्प्रेरण कार्यक्रम (Gender Integration Program)** का पायलट के लिए चयनित प्रखंडों (मीनापुर , बोचहा , राजगीर और धनरुआ के सम्बंधित संकुल संघों में विभिन्न स्तर पर जेंडर फोरम का गठन सुनिश्चित करवाते हुये सम्पूर्ण कार्यक्रम का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन

(राहुल कुमार)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका ,बिहार

सम्बंधित जिला परियोजना प्रबंधक को आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि : निदेशक /CFO/PCs/PS/SPMs/PMs/AFMs को सूचनार्थ